

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2016

विषय: कृषकों को रबी 2016-17 में जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट पर अनुमन्य अनुदान डी0बी0टी0/ आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 1343/जिंक सल्फेट/2016-17 दिनांक 05 अगस्त, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में संचालित केन्द्र पोषित योजनाओं तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, हरित क्रान्ति योजनाओं के अन्तर्गत रबी 2016-17 में जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट के वितरण पर अनुदान की धनराशि को सीधे कृषकों के बैंक खाते में स्थानान्तरित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. कृषकों को रबी 2016-17 में जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट का वितरण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) **जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट की प्रति हेक्टेयर मात्रा:**

जिंक की कमी को दूर करने के लिए एकल पोषक तत्व उर्वरक के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग बेसल ड्रेसिंग के रूप में तथा पर्णोप छिडकाव (टॉप ड्रेसिंग) के रूप में किया जाना संस्तुत है। बेसल ड्रेसिंग के रूप में सामान्यतः 25 कि0ग्रा0 प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की संस्तुति की गयी है तथा पर्णोप छिडकाव में 05 कि0ग्रा0 जिंक सल्फेट 02 प्रतिशत यूरिया के घोल में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिडकाव की संस्तुति की गयी है एवं आवश्यकतानुसार 02 से 04 तक पर्णोप छिडकाव एक सप्ताह के अन्तर से किए जा सकते हैं। जिंक तत्व के मुख्य स्रोत यथा जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 21 प्रतिशत एवं जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33 प्रतिशत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में संसूचित है। जिंक सल्फेट मोनो हाइड्रेट 33 प्रतिशत 15.00 कि0ग्रा0/हेक्टेयर की दर से वितरण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जिंक पोषक तत्व के साथ-साथ प्रदेश की भूमि में अन्य पोषक तत्वों यथा आयरन (फेरस), कॉपर, मैग्नीज एवं बोरान की भी कमी हो रही है। इनकी कमी को दूर करने के लिए माइक्रोन्यूट्रियन्ट मिश्रण ग्रेड-3 (जिंक 6 प्रति०, फेरस 3 प्रति०, मैग्नीज 1.5 प्रति०, कॉपर 0.5 प्रति०) एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट मिश्रण ग्रेड-4 (जिंक 6 प्रति०, फेरस 3 प्रति०, मैग्नीज 2 प्रति०, कॉपर 1 प्रति० एवं बोरान 1 प्रति०) की 25 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से संस्तुति की गयी है। माइक्रोन्यूट्रियन्ट मिश्रण ग्रेड-4 का प्रयोग फोलियर स्प्रे के रूप में किए जाने की संस्तुति की गयी है।

(2) **जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट का केन्द्र पोषित योजनाओं में अनुदान का प्राविधान:**

वर्तमान में केन्द्र पोषित योजनाओं में जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 500/-प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो, की दर से अनुदान अनुमन्य है। भारत सरकार से अनुमोदित कार्य योजना के प्राविधानानुसार 05 हेक्टेयर की जोत सीमा तक सभी कृषक एक फसल सत्र में अनुदान का लाभ पाने के हकदार होंगे परन्तु किसी एक कृषक को 02 हेक्टेयर की सीमा तक ही प्रयोग करने हेतु जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट पर अनुदान की धनराशि कार्य योजना के प्राविधानानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। अनुदानित धनराशि का कम से कम 33 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषकों को तथा कम से कम 30 प्रतिशत महिला कृषकों हेतु व्यय किया जायेगा। अन्य प्राविधान कार्य योजना के अनुसार यथावत रहेंगे।

(3) **जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट वितरण का प्रस्तावित कार्यक्रम:**

केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत रबी 2016 में लगभग 6310 मी०टन जिंक सल्फेट एवं 5760 मी०टन माइक्रोन्यूट्रियन्ट के वितरण का लक्ष्य निर्धारित है जिसका वितरण कृषि विभाग द्वारा सूचीबद्ध विनिर्माता/प्रदायकर्ता कम्पनियों से कराया जायेगा। जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट की विकास खण्ड स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश के समस्त मण्डलों में दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 से 15 जनवरी, 2017 तक कम्पनियों के स्टॉल विकास खण्ड स्तर पर लगवाकर प्रचार-प्रसार कराया जायेगा तथा कृषकों को उक्त उर्वरकों के प्रयोग एवं महत्व की जानकारी संबंधित कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराते हुए डी०बी०टी० हेतु आवश्यक कार्यवाही कराकर एवं अभिलेख पूर्ण कराकर बिक्री का कार्य अधिकृत डीलर के माध्यम से कराया जायेगा। दूरस्थ क्षेत्रों से कृषक विकास खण्ड स्तर पर नहीं आ पाते हैं, अतः सहकारी समितियों से भी सहकारी क्षेत्र की इफको एवं कृषको कम्पनियों का जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट रबी 2016-17 में क्रय करने हेतु स्वतंत्र होंगे। कृषकों को पूर्ण मूल्य पर जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट का क्रय करना होगा तथा अनुदान की धनराशि सीधे लाभार्थी कृषकों के बैंक खाते में भेजी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4) **जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित कराना:**

जिंक सल्फेट वितरण के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। कृषकों को अच्छी गुणवत्तायुक्त जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्राप्त हो इसके लिए सहकारी समिति को छोड़कर निजी क्षेत्र की संबंधित फर्मों से परफारमेंस बैंक गारन्टी के रूप में न्यूनतम रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) अथवा प्रस्तावित वितरित की जाने वाले जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट की मात्रा की धनराशि का 02 प्रतिशत की धनराशि जमा करायी जायेगी। एक कम्पनी को कम से कम एक जनपद के समस्त विकास खण्ड में अभियान के दौरान प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। गुणवत्ता खराब होने पर उक्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा संबंधित जिला कृषि अधिकारी/उर्वरक निरीक्षक के द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी। संबंधित कम्पनियों/फर्मों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र (क्वालिटी सर्टिफिकेट) उपलब्ध कराना होगा।

जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु त्वरित विधि से गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा तथा उर्वरक निरीक्षक द्वारा रैंडम सैंपल भी ग्रहित किया जायेगा। निजी क्षेत्र की संबंधित कम्पनियों/फार्मों से यह शपथ पत्र लिया जायेगा कि जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट के विक्रय अभियान की दर से कम दर पर खुले बाजार में जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट का विक्रय नहीं करेंगे। उल्लंघन की दशा में संबंधित कम्पनी को भविष्य के लिए ब्लैक-लिस्ट कर दिया जायेगा। विक्रेताओं के द्वारा कृषकों को रसीद दो प्रतियों में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें एक प्रति कृषक के द्वारा कृषि विभाग को दी जायेगी। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के द्वारा विभिन्न कम्पनियों से ऑफ़र प्राप्त कर दरों को निर्धारित कर दिया जायेगा।

(5) **जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट वितरण प्रक्रिया:**

कृषकों के विक्रय स्थल पर पहुंचते ही एक निर्धारित प्रारूप पर कृषकों द्वारा अपना विवरण इंगित करना होगा जिस पर कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर होने के बाद कृषक अपनी स्वेच्छा से भूमि के स्वामित्व के क्षेत्र के अनुसार परन्तु अधिकतम 02 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ही जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट क्रय करने हेतु अनुमन्य होगा। तत्पश्चात निर्धारित प्रारूप के साथ अपना कैश में संलग्न कर विकास खण्ड स्तर पर अधिकृत कर्मचारी के पास अनुदान की धनराशि प्राप्त करने के लिए जमा कर देगा। प्रारूप प्राप्त करने पर हस्ताक्षर करते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हुए कर्मचारी काउन्टर फाईल कृषक को उपलब्ध करा देगा। प्रारूप पर उसके बैंक/शाखा का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड संख्या तथा बचत खाता संख्या इंगित रहेगा। जिला कृषि अधिकारी का दायित्व होगा कि अनुदान के भुगतान हेतु प्रारूप एवं कैशमेमों संबंधित उप कृषि निदेशक को 03 दिन के अन्दर उपलब्ध करा देंगे तत्पश्चात अनुदान की धनराशि 15 दिन के अन्दर उप कृषि निदेशक सीधे कृषक के खाते में स्थानान्तरण करा देंगे। प्रत्येक दिन कृषकों को वितरण किए जाने वाले जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट से संबंधित लाभार्थियों की सूची एक रजिस्टर में अंकित की जायेगी जिसे संबंधित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी से प्रतिदिन सत्यापित कराया जायेगा।

(6) **जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट वितरण की सूचना का प्रेषण:**

विकास खण्ड स्तर पर जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट के विक्रय का कार्यक्रम कम्पनियों के द्वारा प्रातः 10:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक किया जायेगा। जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट की रिपोर्ट प्रतिदिन सांयकाल संबंधित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक एवं संबंधित उप कृषि निदेशक को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की जायेगी तथा मण्डल स्तर पर संकलित रिपोर्ट कृषि निदेशालय के उर्वरक अनुभाग को प्रत्येक दिन विभागीय मेल अथवा ई-मेल jdafertilizerup@msn.com पर प्रेषित की जायेगी, जिसका प्रारूप निम्नवत है:-

क्र0सं0	जनपद	विनिर्माता/ प्रदायकर्ता संस्था	कुल मात्रा (कि0ग्रा0 में)	वितरित (कि0ग्रा0 में)	कुल लाभान्वित कृषकों की संख्या	कुल मूल्य (रूपये में)	अनुदान की धनराशि (रूपये में)	आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	

(7) **कृषकों के द्वारा विक्रय केन्द्रों पर भरे जाने वाले फार्म का प्रारूप:**

(कृषक के द्वारा भरा जायेगा)

क्र0सं0	मद	विवरण
1	जनपद	
2	तहसील	
3	विकास खण्ड	
4	राजस्व ग्राम का नाम	
5	कृषक का नाम एवं पिता का नाम	
6	गाटा/खसरा नम्बर	
7	क्षेत्रफल	
8	बैंक शाखा का नाम	
9	बैंक खाता संख्या	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10	आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/आई0एफ0एस0सी0 कोड	
11	जिंक सल्फेट/माइक्रोन्यूट्रियन्ट की मात्रा	
..... हस्ताक्षर कृषक		
कार्यालय के द्वारा भरा जायेगा		
12	(1) कृषक अंश की धनराशि (2) अनुदान की धनराशि	
13	कुल मूल्य	
.....कृपया यहाँ से फाड़े.....		

प्राप्ति रसीद (कृषकों को उपलब्ध करायें)

श्री ----- पुत्र श्री ----- ग्राम-----
ब्लाक----- जनपद----- से ----- जिंक
सल्फेट/माइक्रोन्यूट्रियन्ट की मात्रा----- कि0ग्रा0 का कैशमेमो दिनांक -----
----- को प्राप्त किया।

अनुदान की दर:

- (क) जिंक सल्फेट
(ख) माइक्रोन्यूट्रियन्ट मिश्रण

हस्ताक्षर-----
नाम-----
पदनाम-----
सील-----

(8) जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट के प्रदर्शन हेतु व्यवस्था:

कृषि विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों में जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट का प्रयोग कराया जाता है। प्रदर्शनों हेतु भी जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट की व्यवस्था उपरोक्तानुसार डी0बी0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से की जायेगी। इसका क्रियान्वयन जनपद के उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट वितरण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार:

जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट के पंजीकरण एवं वितरण का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। अन्य सभी माध्यमों यथा पम्पलेट, केबल टी0वी0, गोष्ठियों इत्यादि के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा। अनुदानित जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट का वितरण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित प्राविधानानुसार विकास खण्ड स्तर पर ऑन-लाईन पारदर्शी योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों का चयन/पंजीकरण करके किया जायेगा तथा लाभार्थी कृषकों का पूरा विवरण एक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

रजिस्टर में सुरक्षित रखा जायेगा। किसानों को जिंक सल्फेट एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट की तकनीकी जानकारी संबंधित विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्था के तकनीकी विशेषज्ञ, बी0टी0एम0, ए0टी0एम0, सहायक विकास अधिकारी (कृषि), कृषि तकनीकी सहायक एवं प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनुश्रवण/सत्यापन का कार्य किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)

प्रमुख सचिव।

संख्या: 35/2016/2667 (1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा0 कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री कृषि(श्री राजीव कुमार सिंह तथा श्री राधे श्याम सिंह जी), उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट एगो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
13. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. समस्त परियोजना अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
15. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/गाई बुक।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।